

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग राज.

क्रमांक:-एफ. वी.(36) फार्म एवं चारा विकास/2007-08/ ३०६४

दिनांक १४-१०-१५

आदेश

विभागीय फार्मों के लिए बछड़े/पाड़े/बकरे एवं अन्य जानवरों के क्रय मूल्य निर्धारण की निम्न प्रकार से एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं	विवरण (पशु किस्म)	क्रय-मूल्य
1.	मेंडा	6000
2.	भेड़	5000
3.	जमुनापारी/सिरोही बकरे	8000
4.	बकरी	6000
5.	मुर्गा पाड़े	20,000
6.	गीर सांड	15,000

1. यह क्रय मूल्य अधिकतम मूल्य होगा, यदि कम दर पर पशु उपलब्ध हो जाते हैं तो कम दर पर क्रय की कार्यवाही की जावें।
2. इसके अतिरिक्त राजकीय फार्मों पर उपलब्ध पशुओं को उनकी बुक वेल्यू (विक्रय मूल्य) पर क्रय किया जा सकेगा।
3. आवश्यकता अनुरूप विभागीय फार्मों के लिए पशु क्रय मूल्य की दरों के संशोधन के प्रस्ताव प्रत्येक तीन वर्षों में निदेशालय स्तर पर गठित कमेटी द्वारा शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जाएंगे।
4. वर्तमान में संशोधित दरों के अनुरूप क्रय समिति उच्च गुणवत्ता वाले पशु क्रय किया जाना सुनिश्चित करेगी।

यह आदेश तुरन्त प्रभावी होंगे।

(एन. एल. गुप्ता)
शासन उपसचिव

क्रमांक:-एफ. वी.(36) फार्म एवं चारा विकास/2007-08/ ३०६५-८२

दिनांक १४-१०-१५

प्रतिलिपि एवं सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन, गोपालन एवं मत्स्य विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं पशुपालन विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राज., जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी, पशुपालन विभाग, जयपुर।
7. समस्त अतिरिक्त निदेशक, (क्षेत्र), पपावि, राज.।
8. उपनिदेशक, पशु प्रजनन फार्म, रामसर (अजमेर), नागौर, कुम्हेर (भरतपुर), भेड़ प्रजनन फार्म, फतेहपुर, सीकर, भैंस प्रजनन फार्म, बांकलिया, नागौर।

शासन उपसचिव